I/38370/2022

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या / /2022/02(120)/XXVII(8)/2022/CTR-01
देहरादूनः दिनांकः 26 मई, 2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उप धारा (1) के द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर,उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग8- की अधिसूचना संख्या 514 /2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:
उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I - 2.5% में, -क्रम संख्या 225 ख, 226, 227, 228और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 176क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत: सथापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"176ख	6815	फ्लाई ऐश की ईंटे या फ्लाई ऐश, जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
176ग	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलाकामय मिट्टी की ईंटे
176घ	6904 10 00	निर्माणी ईंटें
176ङ	6905 10 00	फ़र्श या छत की टाइलें"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू समझी जायेगी।

(सौजन्या)
सचिव

सं0 370 /2022/02(120)/XXVII(8)/2022/CTR-01, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(बी0बी0 मठपाल)
अपर सचिव

1805
27/5/22

विधि अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड

I/38371/2022

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 370/2022/ 02(120)/ XXVII(8)/ 2022/ CTR-01 dated 26 May, 2022 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 370 /2022/ 02(120)/ XXVII(8)/2022/CTR-01
Dehradun : Dated: 26 May, 2022

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

a. in Schedule I – 2.5%, serial numbers 225B, 226, 227, 228 and the entries relating thereto shall be omitted;
b. in Schedule II – 6%, after S. No. 176A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

"176B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks
176C	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
176D	690410 00	Building bricks
176E	6905 10 00	Earthen or roofing tiles".

2. This notification shall have deemed to come into force from the 1st day of April, 2022.

Signed by Sowjanya
Date: 26-05-2022 18:44:28
(Sowjanya)
Secretary